

# मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

76, अरेरा हिल्स, भोपाल


क्रमांक 311/002/2020

भोपाल, दिनांक : 22/3/21

## सूचना

देश व प्रदेश में कोरोना (कोविड-19) के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 से सीमित संख्या में कोविड-19 के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आगामी आदेश तक केवल वर्चुअल सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस अनुसार वर्तमान में प्रचलित वैयक्तिक और हाईब्रिड (Physical and Hybrid) सुनवाई आगामी आदेश तक नहीं की जाएगी।

  
(राजीव म. आपटे)

रजिस्ट्रार,


मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण  
आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक : 22/3/21

पृष्ठांकन क्रमांक 311/002/2020

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -

1. माननीय सदस्य डॉ. श्रीमती मोनिका मलिक, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाला
2. माननीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर बन्सल, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाला
3. अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिवक्ता संघ, भोपाला
4. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियरा
5. अध्यक्ष, समस्त जिला अधिवक्ता संघ, मध्यप्रदेशा

  
(राजीव म. आपटे)

रजिस्ट्रार,

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण  
आयोग, भोपाल